राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांकः– प.12(1)साप्र/2/2011 जयपुर, दिनांक : 24 NOV 2017

–:आदेशः–

इस विभाग के आदेश संख्या प.12(1)साप्र/2/2011 दिनांक 25.10.2017 के द्वारा राज्य के अधिकारियो/कर्मचारियों जिनको राजकीय आवास आवंटित है, उनके परिवार के सदस्यों के विवाह ईत्यादि समारोह के उपयोग हेतु **एक राजकीय आवास** रिक्त उपलब्ध होने की स्थिति में **अस्थाई तौर पर** निर्धारित किराये की दरों में संशोधन कर निम्नानुसार निर्धारित किराये की दरों/शर्तों के आधार पर आवंटन किया जावेगाः–

आवास की श्रेणी	किराया 10 दिन के लिए	10 दिन के बाद प्रतिदिन का किराया
प्रथम श्रेणी	14147/– रुपये	1650/– रुपये
द्वितीय श्रेणी	9433/– रुपये	1181/– रुपये
तृतीय श्रेणी	6603/– रुपये	825/– रुपये
चतुर्थ श्रेणी	5188/– रुपये	706/– रुपये
पंचम श्रेणी	2830/-- रुपये	471/– रुपये

शर्तेः–

1. उपरोक्त राजकीय आवास का अस्थाई आवंटन 10 दिन के लिए होगा।
2. 10 दिन के बाद आवास रखे जाने पर प्रतिदिन के हिसाब से अलग किराया देय होगा तथा कुल अवधि एक माह से अधिक की नहीं होगी।
3. उक्त आवास का किराया तथा सिक्यूरिटी मनी जो प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी के आवास आवंटन पर 250/– रुपये (नॉन रिफण्डेबल) निर्धारित है अलग से जमा करानी होगी। उक्त किराया राशि तथा सिक्यूरिटी मनी आवास का कब्जा लेने से पूर्व जमा कराना आवश्यक होगा।
4. आवास में बिजली, पानी का कनेक्शन संबंधित कार्यवाही तथा इन पर होने वाले व्यय का भुगतान प्रार्थी द्वारा अपने स्तर पर किया जावेगा।
5. आवास में किसी प्रकार की तोड़फोड़ होने पर उसे ठीक करवाने में होने वाला व्यय प्रार्थी द्वारा वहन किया जावेगा।
6. **प्रत्येक आगामी वर्ष में 1 सितम्बर से प्रचलित दरों में 10 प्रतिशत की दर से स्वतः वृद्धि की जावेगी।**
7. यह आदेश दिनांक **1.9.2017 से प्रभावी** होगा।

उक्त आदेश वित्त विभाग की आई.डी. संख्या 1759 दिनांक 3.12.08 एवं 101003671 दिनांक 20.10.2010 द्वारा प्रदान की गई सहमति के अनुसरण में जारी किया जाता है।

राज्यपाल की आज्ञा से

(गौरव बजाड़)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय राजस्थान, जयपुर।
2. सचिव, माननीया मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान, जयपुर
3. सचिव, राजस्थान विधानसभा सचिवालय, जयपुर।
4. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिवगण।
5. समस्त प्रमुख शासन सचिवगण/शासन सचिवगण/विशिष्ठ शासन सचिवगण।

6. अतिरिक्त निवासीय आयुक्त, बीकानेर हाउस पण्डारा रोड, नई दिल्ली।
7. प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
8. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, शासन सचिवालय, जयपुर।
9. विशिष्ठ सहायक/निजी सचिव/समस्त मंत्रीगण/राज्यमंत्रीगण/संसदीय सचिवगण।
10. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
11. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
12. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
13. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर बेंच, जयपुर।
14. समस्त विभागाध्यक्षगण।
15. समस्त कोषाधिकारी/कोष कार्यालय, राजस्थान, जयपुर।
16. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, भवन, जयपुर।
17. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, राजस्थान, जयपुर–कृपया तद्नुसार वसूली की कार्यवाही को सुनिश्चित करावें।
18. उप शासन सचिव, वित्त व्यय–2 विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को उनकी आई. डी. सं0 1759 दिनांक 03.12.2008 एवं 101003671 दिनांक 20.10.2010 के क्रम में।
19. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, चौकी गांधीनगर/मालवीयनगर/जवाहरनगर, जयपुर।
20. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, चौकी पुलिस अकादमी परिसर, जयपुर।
21. शासन सहायक सचिव, सामान्य प्रशासन (ग्रुप–5) विभाग, जयपुर।
22. मुख्य लेखाधिकारी, सामान्य प्रशासन (ग्रुप–4) विभाग, जयपुर।
23. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
24. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, साप्रवि.।
25. सहायक प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन (ग्रुप–3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को भेजकर लेख है कि विभाग की वेबसाईड पर अपलोड कराने का श्रम करें।
26. रक्षित पत्रावली।

(गौरव बजाड़)
शासन उप सचिव